विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के 1-सोमवार के लिए निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-15 का उत्तर-

---

प्रश्न	उत्तर
15(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्न कर्ता का पत्र दिनांक 08 जनवरी, 2024 जो आपको सम्बोधित था एवं श्रीमती रमा निरंजन, व प्रश्न कर्ता सदस्य, का पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2024 विकास खण्ड-माधौगंज, जनपद-हरदोई के अन्तर्गत भजेहटा- कुरसथ मार्ग से निकले सम्पर्क मार्ग जो जलिहापुर-समुखा होते हुए नटपुरवा-नेवादा तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है?	प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 08 जनवरी, 2024 एवं 08 फरवरी, 2024 प्राप्त हुये हैं।
(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्रों के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा जनहित में जनपद-हरदोई के अन्तर्गत जनता की वर्णित कठिनाइयों को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रश्नगत मार्ग का चौड़ीकरण/पुर्ननिर्माण करायेगें?	उक्त पत्रों में मुख्य रूप से उल्लिखित मार्ग भजेहटा-कुरसठ-पहुँतेरा (अ0जि0मा0) के किमी0 01 से जलिहापुर-समुखा-नटपुरवा-नेवादा होते हुए भजेहटा-कुरसठ-पहुँतेरा (अ0जि0मा0) के किमी0 08 पर मिलता है। मार्ग की कुल लम्बाई 4.50 किमी0 है, जिसमें निम्न मार्ग सम्मिलित है- 1. भजेहटा-कुरसठ-पहुँतेरा के किमी0 01 से सिंघरौली मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। 2.जलिहापुर से समुखा तक मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। 3.नटपुरवा से नेवादा मार्ग जिला पंचायत के स्वामित्व का है, जो कि ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण मार्ग होने के कारण मार्ग का चौडीकरण लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।
(ग) यदि हाँ, तो कब तक?	उपर्युक्तानुसार
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	उपर्युक्तानुसार

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।